



The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Act-
2001

Act 32 of 2001

Keyword(s):

Jagadguru Rambhadracharya Sansthan, Handicapped, Distance Education System, University

Amendment appended: 3 of 2020

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2445/सत्रह-वि-1—1(क)-30-2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, चित्रकूटधाम द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 7 अगस्त, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

- 2—(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—
- (क) “विद्यापरिषद” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद से है;
- (ख) “घटक महाविद्यालय” का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या से है;
- (ग) “दूरस्थ शिक्षा पद्धति” का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा देने की पद्धति से है;
- (घ) “कर्मचारी” का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;
- (ङ) “संकाय” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;
- (च) “छात्र निवास” का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो;
- (छ) “विकलांग” का तात्पर्य शारीरिक रूप से विकलांग से है;
- (ज) “जगदगुरु रामभद्राचार्य संस्थान” का तात्पर्य जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, 4-एफ, नवाब युसुफ रोड, इलाहाबाद से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है;
- (झ) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 के विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;
- (ञ) “विहित” का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
- (ट) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में “प्राचार्य” का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान प्राचार्य है और इसके अन्तर्गत, जहाँ प्राचार्य न हो वहाँ उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;
- (ठ) “परिनियमों” और “अध्यादेशों” का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;
- (ड) “अध्यापक” का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी है;
- (द) “विश्वविद्यालय” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय से है;

(2) पद “शारीरिक रूप से विकलांग” का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में उक्त पदों के लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

3—(1) जगदगुरु रामभद्राचार्य संस्थान को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) जगदगुरु रामभद्राचार्य संस्थान, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थातः—

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा जितना राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवश्यक समझती हो;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा;

विश्वविद्यालय की
स्थापना

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिये अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा;

(घ) प्रथम परिनियमावली और प्रथम अध्यादेश बनायेगा; और

(ङ) ऐसी अन्य शर्तें जैसी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

(3) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान ने उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है वहाँ राज्य सरकार जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से चित्रकूटधाम में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा।

(5) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक बोर्ड के सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पद धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे।

(6) उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी।

4—विश्वविद्यालय राज्य सरकार से, या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता अनुदान या कोई अन्य वित्तीय सहायता के लिए हकदार न होगा।

5—विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

6—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात:-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा की ऐसी अन्य शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित और प्रदान करना;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने—

(एक) विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो;

(घ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, छात्र-सहायतावृत्तियाँ तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(च) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो यथास्थिति परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें;

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा की ऐसी अन्य शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षा की अभिवृद्धि की व्यवस्था करना;

(ज) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर क्रियाकलापों की व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियां, संदान और दान करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(ट) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना;

(ठ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यवस्था करना;

(ड) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करना;

(त) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, विचार गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(थ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में प्रवेश के मानक अवधारित करना;

(द) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों के लिए विशेष उपबंध करना;

(ध) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिकथित करना;

(न) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर उधार लेना;

(प) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो।

7—विश्वविद्यालय केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए होगा भले ही वे किसी वर्ग, मत या लिंग के हों

विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, जातियों और मतों के विकलांगों की पहुँच होगी

प्रतिबंध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है :

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रविष्ट करने की अपेक्षा है।

छात्रों का निवास

8—ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्य छात्र निवास में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जायं।

अध्याय—तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ड) कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं।

10—(1) कुलाधिपति को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा।

कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) कुलाधिपति का कार्यकाल तीन वर्ष या उससे अधिक ऐसी अवधि का होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।

(4) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदान की जाय।

(5) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।

(6) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियाँ जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

11—(1) कुलपति उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी विहित की जायं, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

कुलपति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:-

(क) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति,

(ख) समाज कल्याण विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में राज्य सरकार के सचिव,

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड के दो नामनिर्दिष्टिती जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर, कुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करनी अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

प्रतिबंध यह है कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे कार्यवाही निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की पुष्टिमायता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट, उपान्तरित या उसे उलट सकेगा।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किये जायं।

12—प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायं।

13—संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो विहित किये जायं।

14—(1) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जायं।

(2) कुल सचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायं या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाओं और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों।

15—वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं या कुलाधिपति या कुलपति या कुल सचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

16—विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसी होगी जैसी विहित की जायं।

अध्याय—चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

17—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) व्यवस्थापक बोर्ड;

(ख) प्रबन्ध बोर्ड;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं।

18—(1) व्यवस्थापक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलाधिपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) कुलपति जो सदस्य-सचिव होगा;

(ग) जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन व्यक्ति;

(घ) विकलांग कल्याण विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से निम्न श्रेणी का न हो; और

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक शिक्षाविद्।

(2) व्यवस्थापक बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी,

अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनर्विलोकन करना;

प्रति-कुलपति

संकायों के
संकायाध्यक्ष

कुल सचिव

वित्त अधिकारी

अन्य अधिकारी

विश्वविद्यालय के
प्राधिकारी

व्यवस्थापक बोर्ड और
उसकी शक्तियां

- (ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;
 (ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;
 (घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या प्रथम परिनियमों को संशोधित या निरसित करना;
 (ङ) विश्वविद्यालय के स्वीच्छक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना; और
 (च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना।
 (3) व्यवस्थापक बोर्ड समय-समय पर ऐसे अन्तरालों पर जो छः माह से अधिक नहीं होगा, ऐसे समय और स्थान पर जैसा कुलाधिपति उचित समझे, बैठक करेगा।

प्रबन्ध बोर्ड

19—(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :-

- (क) कुलपति;
 (ख) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश;
 (ग) जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति;
 (घ) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य, प्रत्येक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम

से;

(ङ) प्रत्येक संकाय से एक आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(च) विकलांग कल्याण विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशित जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो।

- (2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा;
 (3) कुल सचिव प्रबन्ध बोर्ड का सचिव होगा;
 (4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायं।

विद्या परिषद

20—(1) विद्या परिषद में निम्नलिखित होंगे:—

- (क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;
 (ख) कुल सचिव, जो सचिव होगा; और
 (ग) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जायं।

(2) विद्या परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

21—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:—

- (क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;
 (ख) वित्त अधिकारी;
 (ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायं।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी और विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकारी

22—विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये

23—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

अध्याय-पांच

परिनियम और अध्यादेश

परिनियम

24—इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अध्यक्ष रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय संबद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशिष्टता निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन की और ऐसी इकाइयों के गठन की जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, प्रक्रिया;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की संक्रिया;

(ग) कुलपति, कुल सचिव, और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें और उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनर्संरचना;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(ज) मानद उपाधियों के प्रदान करने की प्रक्रिया;

(झ) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के संबंध में उपबन्ध;

(ञ) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया;

(ट) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से प्रभार्य शुल्क;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पारितोषिकों को संस्थान करना;

(ड) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया;

(ढ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो या जो विहित किये जायें।

प्रथम परिनियम कैसे बनाए जायेंगे

25—प्रथम परिनियम जगदगुरु रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गए परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

26—व्यवस्थापक बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा, जो परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्यादेश

27—इस अधिनियम, नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यक्ष रहते हुए, अध्यादेशों निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसूचकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए दी जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(झ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम नियमों या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों में उपबन्ध किये जायें।

28—(1) प्रथम अध्यादेश जगदगुरु रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा बनाया जायेगा और इस प्रकार बनाये गये

प्रथम अध्यादेश

राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रथम अध्यादेश की प्राप्ति के दिनांक से छह माह के भीतर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रथम अध्यादेश के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है।

29—राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से, नये या

अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति

विरुद्ध अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी।

अध्याय—छः

प्रकीर्ण

30—(1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(3) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

31—(1) किसी परीक्षा के लिए कोई ऐसा छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम यथास्थिति कुलपति या प्राचार्य

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

द्वारा या विद्यापरिषद् के संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय की नामावलि से हटा दिया जाय और जो एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया जाय, वह ऐसे आदेश या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करेगा जो यथास्थिति कुलपति, विद्यापरिषद् या प्राचार्य के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा।
(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा और धारा 30 की उपधारा (2) से (4) तक के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस उपधारा के अधीन किये गये किसी निर्देश पर लागू होंगे।

32—विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में

अपील करने का अधिकारी

की बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध बोर्ड को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा।
33—विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते

भविष्य एवं पेंशन निधियाँ

की विहित की जायें, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे।
34—यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

के रूप में सम्पू्क रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह

समितियों का गठन

35—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्राधिकारी का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

36—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करना हो, चुना और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

37—कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

38—इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात हुये भी,—

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी को अवधि के लिये पदधारण करेगा;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेंगे;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे;

(घ) प्रथम प्रबन्ध बोर्ड, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्यापरिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायगा।

स्थायी विन्यास निधि

39—(1) विश्वविद्यालय, कम से कम पांच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगी जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा;

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निधि की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित कर सकेगा;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

40—(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा जायेगी, अर्थातः—

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) जगदगुरु रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

41—(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा जायेगी, अर्थातः—

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान;

(ङ) और स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायगा।

42—धारा 39, 40 और 41 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

निधि का अनुरक्षण

43—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किया जायगा और उसे व्यवस्थापक बोर्ड को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

(2) व्यवस्थापक बोर्ड, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा सचक् रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायगी।

44—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनपत्र प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की जिनका वितरण या संदाय किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

लेखा और संपरीक्षा

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर की जायेगी, जैसी विहित की जाये।

(3) संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रति व्यवस्थापक बोर्ड को प्रस्तुत की जायगी।

(4) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखा, तुलनपत्र और संपरीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायगा और व्यवस्थापक बोर्ड उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

45—विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सचक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

46—(1) जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान राज्य सरकार को क्रम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान का विघटन

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण, पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान के विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

47—(1) धारा 46 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा।

निर्देश जारी करने की शक्ति

48— राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित किसी मामले के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना;

(ख) किसी विषय पर परिनियम बनाने के लिये आदेश देना।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

49—(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को उसके द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है या विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो एक मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय का परिसमापन क्यों न कर दिया जाय।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या तदधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी।

(4) जहाँ राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिये व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्:-

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसने इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है तो वह अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन करने का आदेश दे सकेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी करते समय राज्य सरकार चालू शिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्ति तक के लिये विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन के लिये अग्रतर व्यवस्था करेगी।

(8) उपधारा (7) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय की अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी।

(9) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

50—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

51—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्यशीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

52—(1) उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 15
सन् 2001

निरसन और
अपवाद

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

विकलांगता न केवल उस व्यक्ति के लिए अभिशाप है, जो उससे ग्रस्त है, अपितु सम्पूर्ण समाज के लिए अभिशाप है। हमारे देश और राज्य में काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी विकलांगता से ग्रस्त हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विकलांगों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गयी हैं और उनके पक्ष में सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण भी प्रदान किया गया है, परन्तु ये उपाय राज्य में विकलांगों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए अभी भी अपर्याप्त हैं। विकलांगों की दशा सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि उनके लिए एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना करके उन्हें विद्या की विभिन्न शाखाओं में शिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जायं। चूंकि राज्य सरकार के लिए अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना संभव नहीं था, अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि राज्य में निजी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2001 को उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 2445(2)/XVII-V-1—1(KA)30-2001

Dated Lucknow, October 6, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Vikalang Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001.

**THE UTTAR PRADESH JAGADGURU RAMBHADRACHARYA
HANDICAPPED UNIVERSITY ACT, 2001**

(U. P. ACT No. 32 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to establish and incorporate a University sponsored by Jagadguru Rambhadracharya Vikalang Shikshan Sansthan, Chitrakootdham, in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER—I

PRELIMINARY

Short title

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Act, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 7, 2001.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University ;

(b) "constituent college" means a college or institution maintained by the University ;

(c) "distance education system" means the system of imparting education through any means of communication such as broadcasting, telecasting, correspondence course, seminar, contact programme or a combination of any two or more such means ;

(d) "employee" means an employee appointed by the University, and includes teachers and other staff of the University or a constituent college ;

(e) "faculty" means a faculty of the University ;

(f) "hall" means a unit of residence for students maintained or recognised by the University, or a constituent college ;

(g) "handicapped" means physically handicapped ;

(h) "Jagadguru Rambhadracharya Sansthan" means the Jagadguru Rambhadracharya Vikalang Shikshan Sansthan, 4-F, Nawab Yusuf Road, Allahabad, a society registered with the Registrar of Societies, Uttar Pradesh under the Societies Registration Act, 1860.

(i) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 ;

(j) "prescribed" means prescribed by the Statutes ;

(k) "Principal", in relation to a constituent college, means the head of the constituent college and includes, where there is no principal, the vice-principal or any other person for the time being appointed to act as Principal ;

(l) "Statutes" and "Ordinances" means, respectively, the Statutes and Ordinances of the University ;

(m) "teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a constituent college and includes the principal of a constituent college;

(n) "University" means the Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University established under this Act.

(2) The expression "Physically Handicapped" shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time.

CHAPTER—II

THE UNIVERSITY AND ITS OBJECTS

3. (1) The Jagadguru Rambhadracharya Sansthan shall have the right to establish the University in accordance with the provisions of this Act.

Establishment
of the
University

(2) The Jagadguru Rambhadracharya Sansthan shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfil the following conditions, namely:—

(a) acquire such area of land as the State Government may consider necessary for the establishment of the University;

(b) create a permanent endowment fund, general fund and development fund for the purposes of this Act;

(c) arrange infrastructure and other facilities necessary for making the University functional;

(d) make the first Statutes and the first Ordinance; and

(e) such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

(3) Where the State Government is satisfied that the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan has fulfilled the conditions specified in sub-section (2), the State Government shall issue to the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan a certificate of authorisation for the establishment of the University.

(4) On receipt of the certificate of authorisation under sub-section (3), the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan shall establish at Chirakootdham the University by the name of Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University.

(5) The Chancellor, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the University.

(6) On the establishment of the University under sub-section (4), the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan for the purposes of the University shall stand transferred to, and vest in, the University.

University not to be entitled to financial assistance etc.

No power to affiliate any institution

Powers of the University

4. The University shall not be entitled to any grant-in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.

5. The University may have constituent colleges but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.

6. The University shall have the following powers, namely:—

(a) to provide for instruction in Information Technology and such other branches of learning as the University may think fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(b) to institute and confer degrees or other academic distinctions;

(c) to hold examinations for, and to grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who—

(i) have pursued a course of study in the University or in a constituent college or under a distance education system; or

(ii) have carried on research in the University or in a constituent college or under a distance education system;

(d) to confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes;

(e) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, exhibitions and prizes in accordance with the Statutes;

(f) to demand and receive such fees and charges as may be fixed by the Statutes or Ordinances, as the case may be;

(g) to make provisions for the advancement of education in Information Technology and such other branches of learning as the University may think fit;

(h) to make provisions for extra curricular activities for students and employees;

(i) to make appointments of officers and employees of the University or a constituent college;

(j) to receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, manage and dispose of any movable or immovable property, including trust and endowment properties for the purposes of the University or a constituent college;

(k) to institute and maintain halls and to recognise places of residence for students of the University or a constituent college;

(l) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline, of the students of the University or a constituent college and to make arrangements for promoting their health;

(m) to create administrative, ministerial and other necessary posts;

(n) to co-operate or collaborate with other Universities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;

(o) to provide distance education system;

(p) to organise and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators and other academic staff;

(q) to determine standards of admission to the University or a constituent college;

(r) to make special provisions for students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories for admission in any course of study in the University or in a constituent college in accordance with the orders of the State Government;

(s) to lay down conditions of service of all categories of employees of the University or a constituent college;

(t) to borrow on the security of the property of the University for the purposes of the University or a constituent college;

(u) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University.

7. The University shall be open to handicapped persons only irrespective of class, creed or sex:

University open to all handicapped persons

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes of citizens and such other categories as may be specified by the State Government in this behalf:

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University or a constituent college to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the Statutes.

8. Every student of the University, other than a student who pursues a course of study by distance education system, shall ordinarily reside in a Hall under such terms and conditions as may be prescribed by the Ordinances.

Residence of students

CHAPTER—III

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

9. The following shall be the officers of the University:—

Officers of the University

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) the Pro-Vice-chancellor;

(d) the Deans of Faculties;

(e) the Registrar;

(f) the Finance Officer; and

(g) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

10. (1) The Chancellor shall be nominated by the State Government.

The Chancellor

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the University.

(3) The term of office of the Chancellor shall be three years or such longer period as may be notified by the State Government.

(4) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the rules made thereunder.

(5) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

The Vice-
Chancellor

(6) The Chancellor shall, if present, preside at the convocation of the University held for conferring degrees and may delegate to any officer of the University such of his powers as he may consider necessary.

11. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed on such terms and conditions and may be prescribed for a term of five years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, namely:—

(a) one person nominated by the Chancellor;

(b) Principal Secretary and Commissioner to the State Government in the Social Welfare Department;

(c) the secretary to the State Government in the Information Technology and Electronics Department,

(d) two nominees of the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the convener of the committee by the Board of Governors.

(3) The Committee shall on the basis of merit, prepare a panel of the names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor alongwith a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each such person.

(4) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority, or other body who or which in the ordinary course, would have dealt with the matter.

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances;

Provided further that if the officer, authority, or other body is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor;

Provided also that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Board of Management within three months from the date on which the decision on such action is communicated to him and thereupon, the Board of Management may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the Ordinances.

12. A Pro-Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed. The Pro-Vice-Chancellor
13. Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed. Deans of Faculties
14. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed. The Registrar
- (2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
- (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor.
- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.
15. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed or may be required by the Chancellor, the Vice-Chancellor or the Registrar. The Finance Officer
16. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed. Other Officers

CHAPTER—IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

17. The following shall be the authorities of the University, namely:— Authorities of the University
- (a) the Board of Governors;
 - (b) the Board of Management;
 - (c) the Academic Council;
 - (d) the Finance Committee; and
 - (e) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
18. (1) The Board of Governors shall consist of,— The Board of Governors and its powers
- (a) the Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;
 - (b) the Vice-Chancellor who shall be the Member-Secretary;
 - (c) three persons nominated by the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan;
 - (d) Secretary to the State Government in the Viklang Kalyan Department or his nominee not below the rank of Special Secretary to the State Government; and
 - (e) one academician nominated by the University Grants Commission.
- (2) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely:—
- (a) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Ordinances;

- (b) to approve the budget and annual report of the University;
- (c) to lay down policies to be pursued by the University;
- (d) to make new or additional Statutes or amend or repeal the first Statutes;
- (e) to take decision about voluntary winding up of the University; and
- (f) to approve proposals for submission to the State Government.

(3) The Board of Governors shall, from time to time, meet at the intervals not exceeding six months at such time and place as the Chancellor thinks fit.

The Board of Management

19. (1) The Board of Management shall consist of,—

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Director, Higher Education, Uttar Pradesh;
- (c) two persons, nominated by the Jagadguru Rambhadracharya Sanshan;
- (d) three professors of the University, each from different disciplines, by rotation on the basis of seniority;
- (e) one professor from each faculty who shall be nominated by the Chancellor;

(f) Secretary to the State Government in Viklang Kalyan Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.

(4) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed.

The Academic Council

20. (1) The Academic Council shall consist of,—

- (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson;
- (b) the Registrar, who shall be the Secretary; and
- (c) such other members as may be prescribed.

(2) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act the rules, the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

The Finance Committee

21. (1) The Finance Committee shall consist of,—

- (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson;
- (b) the Finance Officer;
- (c) one officer not below the rank of Special Secretary to the State Government nominated by the State Government;
- (d) such other members as may be prescribed.

(2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, the rules, the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

22. The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Other Authorities

23. No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

Proceedings not to be invalidated on account of vacancy

CHAPTER—V

STATUTES AND ORDINANCES

24. Subject to the provisions of this Act, and the rules, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for,—

Statutes

(a) the procedure for transaction of business of the authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;

(b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;

(c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;

(d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;

(e) the procedure for resolving of disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;

(f) creation, abolition or restructuring of departments and faculties;

(g) the manner of co-operation with other Universities or institutions of higher learning;

(h) the procedure for conferment of honorary degrees;

(i) provisions regarding grant of freeships and scholarships;

(j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats;

(k) the fee chargeable from students for various courses of studies;

(l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;

(m) procedure for creation and abolition of posts;

(n) other matters which are to be or may be prescribed.

25. The first Statutes shall be made by the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan and the Statutes so made shall be submitted to the State Government for its approval which may give its approval with or without modification.

First Statutes how made

26. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes.

Power to amend the Statutes

27. Subject to the provisions of this Act, the rules and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

Ordinances

(a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;

(c) the award of degrees and other academic distinctions;

(d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;

(f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;

(g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;

(h) maintenance of discipline among the students of the University or a constituent college;

(i) all other matters which by this Act, the rules or the Statutes, may be provided for in the Act.

First Ordinances

28. (1) The first Ordinances shall be made by the Jagadguru Rambhadracharya sansthan and the Ordinances so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the first Ordinances, give its approval with or without modification.

(2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the first Ordinances within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed that the State Government has approved the first Ordinances.

Power to amend Ordinances

29. The Academic Council may, with the approval of the Board of Management, make new or additional Ordinances or amend or repeal the Ordinances, subject to the approval of the State Government.

CHAPTER—VI

MISCELLANEOUS

Conditions of service of employees

30. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

(2) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(3) The decision of the tribunal in such matter shall be final.

(4) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.

Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students

31. (1) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University or a constituent college by the orders of the Vice-chancellor or the principal or by the resolution of the Academic Council, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examination of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such order or copy of such resolution, appeal to the Board of Management which may confirm modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor, the Academic Council or the principal, as the case may be.

(2) Any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall, at the request of such student, be referred to a tribunal of arbitration and the provisions of sub-section (2) to (4) of section 30 shall *mutatis mutandis*, apply to a reference made under this sub-section.

32. Every employee or student of the University or of a constituent college shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the principal of any such college, as the case may be, and thereupon the Board of Management may confirm, modify or reserve the decision appealed against.

Right to appeal

33. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Provident and pension funds

34. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Disputes as to constitution of University authorities and bodies

35. Where any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case may think fit.

Constitution of committees

36. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Filling of casual vacancies

37. No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances.

Protection of action taken in good faith

38. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the Statutes,—

Transitional provisions

(a) the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of five years;

(b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years;

(c) the first Board of Governors shall consist of not more than eleven members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years;

(d) the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.

39. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees five crores which may be increased by notification issued in this behalf by the State Government, from time to time.

Permanent endowment fund

(2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.

(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.

(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.

General fund

40. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:—

(a) all fees which may be charged by the University;

(b) all sums received from any other source;

(c) all contributions made by the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan; and

(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.

Development Fund

41. (1) The University shall also establish a development fund to which the following moneys shall be credited, namely:—

(a) development fees which may be charged from student;

(b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;

(c) all contributions made by the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan;

(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law the time being in force; and

(e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilised for the development of the University.

Maintenance of funds

42. The funds established under sections 39, 40 and 41 shall, subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Annual report

43. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be *submitted* to the Board of Governors for its approval.

(2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.

(3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to the State Government.

Accounts and audit

44. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

(2) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors.

(4) The annual accounts, the balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the State Government alongwith its observations thereon.

45. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University, or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced have been admissible in evidence.

Mode of proof
University
record

46. (1) If the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government.

Dissolution of
Jagadguru
Rambhadra-
charya
Sansthan

(2) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall make such arrangements for administration of the University from the date of dissolution of the Jagadguru Rambhadracharya Sansthan and until the last batch of students in regular Courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the rules.

47. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over period of its management under section 46 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.

Expenditure of
the University
during
dissolution of
the Jagadguru
Rambhadra-
charya
Sansthan

(2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University, by the State Government.

Power to issue
directions

48. The State Government shall have the following powers also, namely:—

(a) to issue direction with respect to any matter required to be done by the University by or under this Act or the rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder;

(b) to order framing of Statutes on any subject.

49. (1) Where the State Government is satisfied that any of the directions given by it to the University under this Act, is not complied with, or, on receipt of a complaint with respect to mismanagement of the University, it shall require the University to show cause within such time which shall not be less than one month as to why the University should not be wound up.

Winding up of
the University
by the State
Government

(2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (1), the State Government is satisfied that a prima facie case of mismanagement or violation of the provisions of this Act, the rules, the Statutes, the Ordinances or any direction issued thereunder is made out, it shall order such inquiry as it deems necessary.

(3) For the purposes of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint an officer or authority as the inquiring authority to inquire into and report upon the allegations of mismanagement, violation of the provisions of this Act, the rules, the Statutes the Ordinance or any direction issued thereunder.

(4) Where the State Government considers it necessary or expedient to suspend the Board of Governors or the Board of Management for the purposes of an inquiry with respect to the affairs of the University, it may, by notification order suspension of the Board of Governors or the Board of Management, as the case may be, and make such arrangement for the administration of the University as it considers necessary till the conclusion of the inquiry.

(5) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall, while performing its functions under this Act, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;

(d) receiving evidence on affidavits;

(e) any other matter which may be prescribed by the rules.

(6) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has been mismanaged or has violated any provisions of this Act, the rules, the Statutes, the Ordinance or any direction issued thereunder it may, by notification, order winding up of the University.

(7) While issuing a notification under sub-section (6) the State Government shall make further arrangements for the administration of the affairs of the University, till current courses of study are over.

(8) During the period of management of the University under sub-section (7), the State Government may utilise the permanent endowment fund, the general fund or the development fund for the purposes of the management of the affairs of the University. If the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose of the assets or properties of the University to meet the said expenses.

(9) Every notification under sub-section (6) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Power to make rules

50. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Removal of difficulties

51. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

52. (1) The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Ordinance, 2001 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Disability is not only a curse for the person suffering from it but is also curse on the society as a whole. There are large number of persons in our country and the State suffering from one or the other disabilities and they are facing a lot of problems in their day-to-day life. Though various schemes have been launched by the Central and the State Governments to help the handicaps and reservation in services and educational institutions have also been made in their favour but these measures are still inadequate keeping in view the population of handicaps in the State with a view to ameliorating conditions of the handicaps and make them self reliant, it was considered necessary to provide them facilities of education in different branches of learning. Since it was not possible for the State Government, with its limited financial resources to establish such a University, by establishing a University exclusively for them: It was decided to establish a University in the State in private sector in the name of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Ordinance, 2001 (U. P. Ordinance no 15 of 2001) was promulgated by the Governor on August 7, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 मार्च, 2020

फाल्गुन 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 414/79-वि-1-20-1(क)-2-2020
लखनऊ, 6 मार्च, 2020

अधिसूचना विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय
(संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001
का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय संक्षिप्त नाम
(संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 32 सन् 2001
में सामान्य संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द "विकलांग" शीर्षक, वृहत् नाम, पार्श्व शीर्षकों सहित जहाँ कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द "दिव्यांग" रख दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"4- विश्वविद्यालय, केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र या उक्त किसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय या निगम से या किन्हीं गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं से या किसी व्यक्ति से सहायता-अनुदान, दान के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में प्रदान की गयी कोई वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी गैर सरकारी इकाई या किसी व्यक्ति द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता, विधिसम्मत रूप से अर्जित की गई हो।"

धारा 11 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 11, में उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।"

धारा 18 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(घ)-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी में से निम्न न हो।"

धारा 19 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (1) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(च) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से निम्न न हो।"

धारा 40 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(क) धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता;

(क-1) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए।"

उद्देश्य और कारण

राज्य में जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, चित्रकूटधाम द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने हेतु उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) अधिनियमित किया गया है। चूँकि भारत सरकार ने इस श्रेणी के व्यक्तियों का सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठापित करने हेतु विकलांग व्यक्तियों का नाम दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अतएव, उक्त अधिनियम में विकलांग का नाम तदनुसार परिवर्तित करना समीचीन समझा गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 में यह उपबन्ध है कि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार से या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता अनुदान या किसी वित्तीय सहायता के लिए हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय की माँग पर यह उचित माना गया है कि विश्वविद्यालय को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार और किसी गैर सरकारी संगठन आदि से अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

चूँकि उक्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता रहा है और अब, यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रशासित है। अतः तत्संदर्भ में उक्त अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

अतएव ऊपर वर्णित स्थितियों के आलोक में तत्सम्बन्धी उपबन्ध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 414(2)/LXXIX-V-1-20-1(Ka)-2-2020

Dated Lucknow, March 6, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Vikalang Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 5, 2020. The Divyangjan Sashaktikaran Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH JAGADGURU RAMBHADRACHARYA
HANDICAPPED UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 3 of 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Act, 2001.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-First Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|--|--|
| 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University (Amendment) Act, 2020. | Short title |
| 2. In the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Act, 2001, hereinafter referred to as the principal Act for the word, "Handicapped" wherever occurring including heading, long title and marginal headings, the word "Divyanga" shall be substituted. | General Amendment in U.P. Act no. 32 of 2001 |

- Amendment of section 4 - 3. For section 4 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :-
- "4. The University may accept any financial assistance offered to it in the form of grant-in-aid, donation or any other form by the Central Government, the State Government of Uttar Pradesh or any other State Government or a Union Territory or any body or corporation owned or controlled by any of the said Government or from any non-governmental organizations, institutions or from an individual:
- Provided that the financial assistance given by a non-governmental unit or an individual shall be legally acquired."
- Amendment of section 11 4. In section 11 of the principal Act, in sub-section (2) for clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely :-
- "(c) the Secretary to the Uttar Pradesh Government in the Divyangjan Shasaktikaran Vibhag."
- Amendment of section 18 5. In section 18 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (d), the following clause shall be *substituted*, namely :-
- "(d) the Secretary to the Uttar Pradesh Government in the Divyangjan Shasaktikaran Vibhag or his nominee not below the rank of Special Secretary."
- Amendment of section 19 6. In section 19 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (f), the following clause shall be *substituted*, namely :-
- "(f) the Secretary to the Uttar Pradesh Government in the Divyangjan Shasaktikaran Vibhag or his nominee not below the rank of Joint Secretary."
- Amendment of section 40 7. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (a), the following clauses shall be *substituted*, namely :-
- "(a) financial assistance received by the University under section 4;
- (a-1) all fees which may be charged by the University."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Act, 2001 (U.P. Act no. 32 of 2001) has been enacted to establish and incorporate a University Sponsored by Jagadguru Rambhadracharya Viklang Shikshan Sansthan, Chitrakootdham in the State. Since the Government of India has changed the name of handicapped persons as Divyang persons to establish the social honour of the persons of this category. It has, therefore, been considered expedient to change the name of handicapped in the said Act accordingly.

Section 4 of the said Act provides that the University shall not be entitled to any grant-in-aid or any financial assistance from to State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government. On the demand of the University it has been considered appropriate to allow the University to receive grant or financial assistance from the Central Government/State Government and any non-government organization etc.

Since the said University has been administered by the Information Technology and Electronics Department of the State Government and now it is administered by the Divyangjan Sashaktikaran Vibhag. Hence, it has become necessary to amend the relevant provisions of the said Act in context thereof.

It has, therefore, been decided to amend the aforesaid Act to make the provisions thereof in the light of the positions stated above.

The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University (Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 726 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1750)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 158 सा० विधायी-2020-(1751)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।